

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 35/2017

अपीलांत

सुराब पुत्र उम्मेद अली  
पुत्र मुबारक जाति मुसलमान  
निवासी उटल तहसील शिव

बनाम

रेस्पोंडेंट

राजस्थान राज्य जरिये  
तहसीलदार, शिव



राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध  
आदेश दिनांक 05.07.2017 बमुकदमा संख्या 31/2017 द्वारा तहसीलदार  
शिव

उपस्थित:—1. श्री भगवानदास गोयल अधिवक्ता अपीलांत की ओर से।  
2. श्री सोहन दवे राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेंट की ओर  
से।

निर्णय

दिनांक 23.05.2018

1. संक्षेप में अपीलांत की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का राजडाल ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार शिव के समक्ष इस आशय का पेश किया कि अपीलांत सुराब पुत्र उम्मेद अली ने ग्राम उटल के खसरा संख्या 451 व 460 रकबा 287.11 बीघा में से 15.10 बीघा किस्म बा.सो. भूमि पर अतिक्रमण कर मकान व कच्ची बाड़ व झुपा का निर्माण किया है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत के विरुद्ध प्रकरण संख्या 31/2017 दर्ज कर, बाद जाँच एवं सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 द्वारा अपीलांत को पश्चात्वृत्ति अतिक्रमी घोषित करते हुए प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये, 51/- जुर्माना आरोपित किया एवं 60 दिन की सिविल कारावास की सजा भुगताने के भी आदेश पारित किये। इस आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलांत ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की हैं।
2. हमने अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंट को सम्मन किया एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की।
3. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी। अपीलांत के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलांत ग्राम उटल का स्थायी निवासी है जहाँ पर अपीलांत स्वयं की खातेदारी भूमि आई हुई है जिसके सेढा-सेढ खसरा नम्बर 451, 460 रकबा 15.10 बीघा

जिला कलक्टर  
बाड़मेर

आबादी भूमि है। अपीलांट की उक्त भूमि पीढियों की आई हुई, है जिस पर वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसमें अपीलांट की ढाणीयां व पुरानी माठ बनी हुई है। अपीलांट के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पेश कर धारा 91 अतिक्रमण का मुकदमा दर्ज किया गया। अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है। तहसीलदार शिव ने भी कोई जाँच नहीं कर एक तरफा आदेश पारित कर दिया, जो गलत है। इसलिये अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाए। इसके जवाब में राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि अपीलांट पश्चात्वृति अतिक्रमी है। अपीलांट की खातेदारी भूमि उक्त आराजी के पास नहीं है। अपीलांट ने सम्वत् 2073 में भी इस भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा किया है, और अतिक्रमण करने का आदी है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, सही एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपीलांट की अपील खारिज किया जाए।

4. हमने दोनो पक्षों के तर्कों पर मनन किया। अपीलाधीन पत्रावली एवं तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन पत्रावली के अवलोकन से मौजा उटल के खसरा नम्बर 451,460 की भूमि सरकारी भूमि है उक्त विवादित आराजी के पास अपीलांट की खातेदारी भूमि होने का कोई साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही अपीलांट के न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जाँच के दौरान पटवारी हल्का राजडाल के बयान लिये है। पत्रावली एवं पटवारी हल्का के बयान अनुसार अपीलांट सुराब ने मौजा उटल के खसरा नम्बर 451 किस्म बा.सो सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से पक्का मकान, बाड़ व झोंफा का निर्माण करने के फलस्वरूप उसके विरुद्ध वर्ष 2073 में मुकदमा संख्या 654/16 दर्ज कर आदेश दिनांक 06.12.2016 द्वारा अपीलांट को भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांट ने इन्हीं खसरान की भूमि पर दुबारा वर्ष 2074 में अतिक्रमण करने के फलस्वरूप उसके विरुद्ध मुकदमा संख्या 31/2017 दर्ज कर बाद जाँच एवं सुनवाई आदेश दिनांक 05.07.2017 द्वारा अपीलांट को पश्चात्वृति अतिक्रमी घोषित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार अतिक्रमी सुराब पुत्र उम्मेदअली द्वारा वर्तमान में खसरा नम्बर 451 में रकबा 15.00 बीघा भूमि पर बबूल की बाड़ बना कर रखी है व खसरा नम्बर 460 रकबा 0.10 बीघा भूमि पर अतिक्रमी सुराब का रहवासी मकान बना हुआ है। इससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट जान बूझकर, राजकीय भूमि पर बेदखल करने के बावजूद बार-बार अतिक्रमण करता रहता है और पश्चात्वृति अतिक्रमी हैं। अपीलांट



जिला कलेक्टर  
बाड़मेर

की इस प्रवृत्ति को छुड़ाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बेदखल करने,जुर्माना आरोपित करने एवं सिविल कारावास भुगताने का जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है,सही एवं न्यायोचित है,जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं तहसीलदार,शिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.07.2017 यथावत रखा जाता है।



(शिवप्रसाद एम.नकाते)  
जिला कलक्टर बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर, बाड़मेर  
जिला कलक्टर  
बाड़मेर